


11

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक

III | निगरानी | रीवा/भू-र/२०१२/२२८ |



- 1 श्री नीलकण्ठ पाण्डेय उम्र 55 वर्ष पेशा खेती,
 - 2- श्री रामसागर पाण्डेय उम्र 56 वर्ष पेशा खेती,
 - 3- श्री कमलेश्वर प्रसाद पाण्डेय उम्र 54 वर्ष पेशा खेती वनौकरी
 - 4- श्री प्रेमसागर पाण्डेय उम्र 52 वर्ष पेशा खेती व प्राक्ट नौकरी
 - 5- श्री रामजीवन पाण्डेय उम्र 48 वर्ष पेशा खेती सभी केपिता
- श्री गया प्रसाद पाण्डेय निवासी गण ग्राम हरगढीव डौकरा कला भाठ
तहसील मऊगंज, जिला रीवा म०प्र० ----- आवेदकगण

वनाम

- 1- श्री उमाकान्त पाण्डेय तनय श्री गजाधर प्रसाद पाण्डेय उम्र 48 वर्ष पेशा खेती, व व्यापार निवासी ग्राम डौकरा भाठ कला, तहसील मऊगंज, जिला रीवा
- 2- श्री शिवाकान्त पाण्डेय तनय श्री गजाधर प्रसाद पाण्डेय उम्र 38 वर्ष पेशा खेती,
- 3- श्री रमाकान्त फौत वारिसगण
- 3अ श्री मती वेदवती पाण्डेय विधवा पत्नी श्री रमाकान्त पाण्डेय उम्र 40 वर्ष पेशा खेती व गृह कार्य
- 3ब कुमारी दिव्या पाण्डेय पुत्री श्री रमाकान्त पाण्डेय उम्र 40 वर्ष पेशा खेती व गृह कार्य
- 3स- कुमारी गीजान्जली पाण्डेय पुत्री श्री रमाकान्त पाण्डेय उम्र 19 वर्ष
- 3द- कुमारी पूजा पाण्डेय पुत्री श्री रमाकान्त पाण्डेय उम्र 17 वर्ष

(S.K. Kulkarni)

श्री S.K. Kulkarni
जस आज दि. 21/02/12 को
प्रस्तुत

प्लेक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल ग्वालियर

(S.K. Kulkarni)

✓

पेशा

- 3- इ कुमारीआचल पाण्डेय पुत्री श्री रमाकान्त पाण्डेय उम्र 15 वर्ष
अफल कुमारी कागज पाण्डेय पुत्री स्व० श्री रमाकान्त पाण्डेय उम्र 12 वर्ष
दोनों नाबालिग द्वारा क्ली संरक्षिका मां श्रीमती वेदखली पाण्डेय
विधवापत्नी स्व० श्री रमाकान्त पाण्डेय निवासी ग्राम हरगडी तहसील
मऊगंज जिला रीवा म०प्र०
- 4- श्रीशशिकान्त पाण्डेय तनय स्व० श्री गजाधर प्रसाद पाण्डेय उम्र 32 वर्ष
5- श्रीमती रामवती पाण्डेय विधवा पत्नी गजाधर प्रसाद पाण्डेय
उम्र 90 वर्ष पेशा खेती व गृह कार्य
6- श्री गया प्रसाद तनय श्री साधूराम ब्रा० उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम हरगडा
तहसील मऊगंज, जिला रीवा ----- अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश नायब
तहसीलदार महोदय सर्किल सीतापुर तहसील
मऊगंज, द्वारा प्रकरण क्रमांक 47अ6अ/15-16
पेपारित आदेश निर्णय दिनांक 4-5-17
को पारित किया गया है अन्तर्गत धारा 50
म०प्र० मूराजस्व संहितासन 1959ई०

मान्यवर,
निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

- 1- यह कि निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय अनियमित
अवैध व त्रुटि पूर्ण होनेके कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि अनावेदक क्र० 1 ने विवादित भूमियो जिनका नामान्तरण
आवेदकगणों के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है के ससरा सुधार
का आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 115, 116 म०प्र० मूराजस्वसंहिता
दायर किया जिसमे आवेदकगणोंको पदाकार बनाये बिना ही

(S.K. Shukla)

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक निगरानी 2281-तीन/17 जिला -रीवा
कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभा-
षक आदि के
हस्ताक्षर

स्थान तथा
दिनांक

02.8.17

आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 चतुर्वेदी को एवं आवेदक को समय समय पर आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


सदस्य

